HINDUSTAN TIMES

Hindustan Times

UP Cop App emerges as Digital Police Station

LUCKNOW: The smart and technology-enabled policing has taken a significant leap forward, with the UP Police's UP Cop App now serving as a virtual "Digital Police Station" for citizens statewide, said senior officials in a press note on Sunday.

The app, a pillar of the state's police reforms, allows residents to access an extensive list of 27 police services from home. This digital shift drastically reduces the need for physical visits to police stations, offering services that include online FIR registration and copies, reporting lost articles, and various critical verification checks such as character, tenant, domestic help, and employee verification, said the officials.

According to director general of police (DGP) Rajeev Krishna, the app reflects chief minister Yogi Adityanath's vision of making policing transparent, accountable and citizen-centric through technology. "The UP Cop App has become a major relief for the common people and has strengthened trust between citizens and police," he said. It has been downloaded by over 50 lakh users, with more than 2.1 crore FIR copies downloaded so far. Additionally, over 7.3 lakh people have reported lost articles through platform, highlighting its utility in everyday policing needs.

Police officials said one of the most notable outcomes has been a sharp reduction in service resolution time. Character verification now takes around six days, down from eight earlier. Tenant verification has been reduced to about eight days from nearly 25 days, while employee verification now takes around five days, compared to 13 days previously.

Several new features have enhanced the app's effectiveness, including real-time status updates, availability in Hindi and English, upgraded SOS and location-tracking functions, and a map-based option to locate nearby police stations during emergencies. HTC

DAINIK JAGRAN

यूपी काप एप से चरित्र, किरायेदार व घरेलू सहायक सत्यापन आसान

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ: यूपी काप एप प्रदेश के लोगों के लिए डिजिटल पुलिस स्टेशन की तरह कार्य कर रहा है। इस एप से घर बैठे एफआइआर, चरित्र, किरायेदार, घरेलू सहायक व कर्मचारी सत्यापन सहित 27 सेवाएं सेवाओं का लाभ मिल रहा है। एप से चरित्र सत्यापन में लगभग छह दिन का समय लग रहा है जबकि पहले इसमें आठ दिन लगते थे। किराएदार सत्यापन में लगभग आठ दिन लग रहे हैं जबकि पहले 24 से 25 दिन लगते थे। कर्मचारी सत्यापन भी पांच दिन में हो जा रहा है जबकि पहले इसमें 13 दिन लगते थे।

राजीव कृष्ण (फाइल)

- डिजिटल पुलिस स्टेशन की तरह कार्य कर रहा यूपी काप एप

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक लोग एप को डाउनलोड कर चुके हैं। यह एप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इससे 2.1 करोड़ से ज्यादा एफआइआर डाउनलोड की जा चुकी हैं। 7.3 लाख से अधिक लोगों ने खोए हुए सामानों की रिपोर्ट दर्ज कराई है। खास बात यह है कि आवेदन की स्थिति की तुरंत जानकारी भी इससे मिल रही है। लोकेशन ट्रैकिंग और इमरजेंसी में मदद के लिए 'एसओएस' बटन जैसी सुविधाओं को भी एप से जोड़ा गया है। नजदीकी पुलिस स्टेशन को मैप पर देखने की सुविधा भी दी गई है।

उन्होंने बताया कि शिकायत समीक्षा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा और समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है। शिकायतकर्ताओं को भरोसा मिला है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तकनीक से पुलिस में सेवा-प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया जा रहा है। तकनीकी आधारित जनशिकायत निवारण से पुलिसिंग अधिक जनकेंद्रित और जवाबदेह बन रही है।

AMAR UJALA

यूपी कॉप एप ने बदली पुलिसिंग की तस्वीर

लखनऊ। यूपी पुलिस का यूपी कॉप एप अब मोबाइल को डिजिटल थाना और चौकी बना रहा है। इसे 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और यह 27 तरह की सेवाएं देता है, जैसे एफआईआर डाउनलोड, खोए सामान की रिपोर्ट, चरित्र सत्यापन, किरायेदारी और कर्मचारी सत्यापन। डीजीपी राजीव कृष्ण के अनुसार, अब तक 2.1 करोड़ एफआईआर डाउनलोड की जा चुकी हैं और 7.3 लाख लोग खोए सामान की रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। एप से लोग पुलिस थानों के चक्कर लगाए बिना ही सेवाएं पा सकते हैं। ब्यूरो

यूपी कॉप ऐप से मिली स्मार्ट पुलिसिंग को रफ्तार

अब थाने के चक्कर खत्म, घर बैठे मिल रही 27 पुलिस सेवाएं उपलब्ध-राजीव कृष्णा

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते पौने नौ वर्षों में स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में बड़े और प्रभावी कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का सबसे बड़ा उदाहरण यूपी कॉप ऐप और सिटीजन पोर्टल है, जो आज प्रदेशवासियों के लिए एक डिजिटल पुलिस स्टेशन की तरह काम कर रहा है। इस पहल से न केवल पुलिस व्यवस्था अधिक आधुनिक हुई है, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिली है।यूपी कॉप ऐप के माध्यम से अब नागरिकों को छोटी-बड़ी पुलिस सेवाओं के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लोग घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी

डाउनलोड कर सकते हैं और खोए हुए सामान की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन समेत कुल 27 प्रकार की सेवाएं ऐप पर उपलब्ध हैं। अब तक 50 लाख से अधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के मुताबिक यूपी कॉप ऐप के जरिए अब तक 2.1 करोड़ से अधिक एफआईआर डाउनलोड की जा चुकी हैं, जबकि 7.3 लाख से ज्यादा लोगों ने खोए हुए सामान की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराई है। ये आंकड़े डिजिटल पुलिसिंग को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दिखाते हैं।ऐप में रीयल-टाइम नोटिफिकेशन की सुविधा दी गई है, जिससे आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की तुरंत जानकारी मिलती रहती है। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि हर वर्ग के लोग इसका आसानी से उपयोग कर सके।

-

TARUN MITRA

घर बैठे आमजन एफआईआर समेत 27 सुविधाओं का उठा रहे लाभ

पुलिस का 'यूपीकॉप' एप बना आमजन का सारथी

शोभित मिश्र

लखनऊ, 11 जनवरी (तरुणमित्र)। यूपी पुलिस का यूपीकॉप एप और सिटीजन पोर्टल आज प्रदेशवासियों के लिए 'डिजिटल पुलिस स्टेशन' की तरह काम कर रहा है। प्रदेशवासी एप के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं बल्कि 27 प्रकार की पुलिस सेवाओं का लाभ बिना थाने गए उठा रहे हैं।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग को जनकेंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज यूपी पुलिस तकनीक के जरिये आम जनमानस की सेवा में नई मिसाल कायम कर रही है। यूपीकॉप एप ने थानों के चक्कर लगाने की मजबूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। वहीं एप से विभिन्न सेवाओं के निस्तारण की समयावधि में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि एप के जरिए लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने, खोये सामान की रिपोर्ट दर्ज कराने, चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन समेत 27 प्रकार की ■ शेष पेज 11 पर

सहुलियत

- एप से थाने के चक्कर लगाने से आमजन को मिली मुक्ति
- विभिन्न सेवाओं के निस्तारण की समयावधि में दर्ज हुई उल्लेखनीय कमी

'यूपीकॉप एप उत्तर प्रदेश पुलिस का 'डिजिटल पुलिस स्टेशन' है, जो नागरिकों की शिकायतों और सेवाओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था देता है।

टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सेवा-प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर रहे हैं–ताकि हर आवेदन पर समान गति, समान पारदर्शिता और निश्चित समय-सीमा सुनिश्चित हो।

टेक्नोलॉजी-आधारित जनशिकायत निवारण से पुलिसिंग अधिक जनकेंद्रित और जवाबदेह बन रही है–यही स्मार्ट पुलिसिंग का वास्तविक अर्थ है।'

राजीव कृष्ण
डीजीपी उत्तर प्रदेश

-

TARUN MITRA

पुलिस का 'यूपीकॉप'...

सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 50 लाख से अधिक यूजर्स एप को डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं एप के माध्यम से 2.1 करोड़ से ज्यादा एफआईआर डाउनलोड की जा चुकी हैं जबकि 7.3 लाख से अधिक लोगों ने खोये सामान की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

डीजीपी ने बताया कि यूपी कॉप एप में कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इसमें रीयल-टाइम नोटिफिकेशन के जरिए आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की तुरंत जानकारी मिल रही है। यह एप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे हर वर्ग के लोग आसानी से इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं, सुरक्षा के लिहाज से लोकेशन ट्रैकिंग और एसओएस बटन जैसी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा एप पर नजदीकी पुलिस स्टेशन को मैप पर देखने की सुविधा भी दी गई है, जो आपात स्थिति में काफी उपयोगी साबित हो रही है। एप से विभिन्न सेवाओं के निस्तारण में लगने वाले समय में भारी कमी आयी है। वर्तमान में चरित्र सत्यापन में लगभग 6 दिन का समय लग रहा है जबकि पहले इसमें 8 दिन लगते थे। इस तरह किरायेदार सत्यापन में करीब 8 दिन लग रहे हैं जबकि पहले 24 से 25 दिन लगते थे, कर्मचारी सत्यापन में करीब 5 दिन लग रहे हैं जबकि पहले 13 दिन लगते थे इसके साथ ही योगी सरकार का पब्लिक ग्रेवांस रिव्यू पोर्टल भी आमजन के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पोर्टल के जरिए आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिनकी नियमित समीक्षा और समयबद्ध निस्तारण भी किया जा रहा है। इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है और शिकायतकताओं को यह भरोसा मिला है कि उनकी बात सुनी जा रही है।

-

योगी सरकार की पुलिस का यूपीकॉप एप बना आमजन का सारथी

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार की यह मुहिम पुलिस से लेकर आमजन के लिए बड़ी राहत और भरोसे का माध्यम बन गयी है। योगी सरकार की यूपी पुलिस का यूपीकॉप एप और सिटीजन पोर्टल आज प्रदेशवासियों के लिए ख्रडिजिटल पुलिस स्टेशनह्व की तरह काम कर रहा है। प्रदेशवासी एप के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे एफ-आईआर दर्ज करा रहे हैं बल्कि 27 प्रकार की पुलिस सेवाओं का लाभ बिना थाने गए उठा रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग को जनकेंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज यूपी पुलिस तकनीक के जरिये आम जनमानस की सेवा में नई मिसाल कायम कर रही है। यूपीकॉप एप ने थानों के चक्कर लगाने की मजबूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। वहीं एप से विभिन्न सेवाओं के निस्तारण की समयावधि में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि एप के जरिए लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने, खोये सामान (छक्कर३ अ१३')की रिपोर्ट दर्ज कराने, चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन समेत 27 प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 50 लाख से अधिक यूजर्स एप को डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं एप के माध्यम से 2.1 करोड़ से ज्यादा एफआईआर डाउनलोड की जा चुकी हैं जबकि 7.3 लाख से अधिक लोगों ने खोये सामान की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

यह आंकड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिजिटल पुलिसिंग की सोच के महत्व को दर्शाते हैं। एप से विभिन्न सेवाओं के निस्तारण में लगने वाले समय में भारी कमी आयी है। वर्तमान में चरित्र सत्यापन में लगभग 6 दिन का समय लग रहा है जबकि पहले इसमें 8 दिन लगते थे। इस तरह किरायेदार सत्यापन में करीब 8 दिन लग रहे हैं जबकि पहले 24 से 25 दिन लगते थे, कर्मचारी सत्यापन में करीब 5 दिन लग रहे हैं जबकि पहले 13 दिन लगते थे इसके साथ ही योगी सरकार का पब्लिक ग्रेवांस रिव्यू पोर्टल भी आमजन के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पोर्टल के जरिए आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिनकी नियमित समीक्षा और समयबद्ध निस्तारण भी किया जा रहा है।

इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है और शिकायतकर्ताओं को यह भरोसा मिला है कि उनकी बात सुनी जा रही है। यूपीकॉप ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस का ख्रडिजिटल पुलिस स्टेशनह्व है, जो नागरिकों की शिकायतों और सेवाओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था देता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सेवा-प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर रहे हैं—ताकि हर आवेदन पर समान गति, समान पारदर्शिता और निश्चित समय-सीमा सुनिश्चित हो। टेक्नोलॉजी-आधारित जनशिकायत निवारण से पुलिसिंग अधिक जनकेंद्रित और जवाबदेह बन रही है—यही स्मार्ट पुलिसिंग का वास्तविक अर्थ है।

GROUP-5

यूपीकॉप ऐप बना आमजन का सारथी, घर बैठे एफआईआर समेत 27 पुलिस सेवाएं उपलब्ध

लखनऊ, (ग्रुप 5 संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पुलिस का यूपीकॉप ऐप और नागरिक पोर्टल अब एक डिजिटल पुलिस थाना की तरह कार्य कर रहे हैं। इसके जरिए आम नागरिक न केवल घर बैठे प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करा रहे हैं, बल्कि थाने गए बिना 27 प्रकार की पुलिस सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दी गई। रविवार को जारी आधिकारिक बयान में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकेंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग की सोच के तहत तकनीक को प्रभावी रूप से जोड़ा गया है। इसका परिणाम है कि उप्र पुलिस आज डिजिटल माध्यमों से जनता की सेवा में नई मिसाल कायम कर रही है। डीजीपी के अनुसार, यूपीकॉप ऐप ने थानों के चक्कर लगाने की मजबूरी को काफी हद तक कम कर दिया है और सेवाओं के निस्तारण की समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आई है। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करना, खोए सामान की रिपोर्ट, चरित्र सत्यापन, किराएदार/घरेलू सहायक/कर्मचारी सत्यापन सहित 27 सेवाएं उपलब्ध हैं। बयान के मुताबिक, अब तक 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप के जरिए 2.1 करोड़ से ज्यादा एफआईआर डाउनलोड की जा चुकी हैं और 7.3 लाख से अधिक लोगों ने खोए सामान की रिपोर्ट दर्ज कराई है—जो डिजिटल पुलिसिंग की उपयोगिता को दर्शाता है। यूपीकॉप ऐप में रीयल-टाइम नोटिफिकेशन, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का सपोर्ट, लोकेशन ट्रैकिंग, एसओएस बटन और नजदीकी थाने को मैप पर देखने जैसी सुविधाएं भी अपग्रेड की गई हैं, जो आपात स्थितियों में अत्यंत उपयोगी हैं। डीजीपी ने बताया कि सेवाओं के निस्तारण का समय भी घटा है—वर्तमान में चरित्र सत्यापन 96 दिन (पहले 98), किराएदार सत्यापन 98 दिन (पहले 24-25) और कर्मचारी सत्यापन 95 दिन (पहले 913 दिन) में पूरा हो रहा है।

» अब तक 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड कर चुके हैं

» यूपीकॉप ऐप ने थानों के चक्कर लगाने की मजबूरी को काफी हद तक कम कर दिया है और सेवाओं के निस्तारण की समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आई है।